


To,



The Hon'ble Prime Minister of India,

Cabinet Minister, Department of Personnel & Training,

Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension,

Government of India, North Block, New Delhi, 110001.

**Subject:** – An application for indirect dependent employment on compassionate ground to applicant's younger son in place of applicant's deceased son Late Amar Kumar Naik, S/o Late Banshi Naik, N.E.I.S No. – 24911870, as Mentioned in Clause 9.3.0, 9.4.0, 9.5.0 of Chapter - IX of National Coal Wage Agreement – XI, dated- 01.06.2023.

**Ref:** - 1. Application Letter No. 4230, 4231, dated- 15.01.2022.  
2. Application Letter No. 6005, dated- 03.03.2022.

Respected sir,

With reference to application letter no. and subject cited above, it is to intimate you sir that, I, Mrs. Sushila W/o Late Banshi Naik, Age – 56 Years, residing at - Q. No. 606, East Nepal Gate, Churcha Colliery, District – Koriya, Chhattisgarh. The matter of concern is that, my elder son Late Amar Kumar Naik S/o Late Banshi Naik, who was working in West Block, Churcha Mine (R.O.), S.E.C.L., Area – Baikunthpur, in the Post of General Majdoor Cat- I, N.E.I.S. No.- 24911870 on compensation ground, after the sad demise of my husband in the year 2014. After that, due to an accident my son got injured and admitted to Ram Krishna Care Hospital, Raipur and during the treatment my son got died, on 01/11/2021 in harness.

After, the sad demise of my elder son, I approached the concerned authority to get some relief to stable our family worse condition and to overcome this disastrous amount of pain, what we have obtained, from the sudden demise of my elder son, who was the only bread earner in the family and our family wholly depends upon his earnings. We, submitted various applications for terminal benefits (various funds), indirect dependent employment of my deceased son, who was nominated me in his service sheet, From-B and in many others proforma as per S.E.C.L. Norms, during his service period. but, the same has not been paid by the "Personnel Managers" of the respective office of Subarea manager, S.E.C.L., Churcha Mine (R.O.), for their own profit cut.

After that, Personnel managers, provides too much troubles for the family of mine, and they did not release any single amount in this regard, saying by their own words with oral statements that, he has wife, so we are unable to pay you. but, they neither have any kind of evidence, legally valid documents nor any names mentioned as a "wife" in my deceased son's service record documents and rejects all the applications related to payment for the same and do not want to listen our plea raised after, my son sad demise. Then, we informed the same in this regard to the higher authorities as well, then "Personnel Managers" perform further process of cessation in my deceased son's terminal benefits with help of that lady, filed one fake civil suit in Section 372 of "Indian Succession Act- 1925" in the court of 1<sup>st</sup> Civil Judge, Class- I, District and Sessions Court, Baikunthpur, District- Koriya (C.G.) and

D-24-1001/U



ruined our precious time and money to engaged in this case for almost 3 years for no reason. Now, The case has been decided by Hon'ble 1<sup>st</sup> Civil Judge, Senior Division, District & Sessions Court, Baikunthpur, District – Koriya (C.G.), vide Order (Decree) dated :- 16/12/2024 with Succession Certificate.

Kindly sir, look into this matter seriously and give directions to concerned authority, to consider the case of "indirect dependent employment on compassionate ground" of the applicant's younger son and initiate appropriate steps in this regard as per S.E.C.L. rules. Hence, we appeal before the authority, many times but it's about three years nothing had been done, because of the pending Succession Case No. 03/2022 in the Court of "1<sup>st</sup> Civil Judge, Senior Division", "District & Sessions Court, Baikunthpur, District - Koriya (C.G.)" to provides support to our family that, currently suffering from poor mentally unstable and economically backward conditions. Impart natural justice to a needy & poor family of mine as per S.E.C.L. rules and for that act of kindness I shall remain highly obliged.

Thanking you

Sushila

By Applicant

Place: Churcha Colliery

Date: 24 / 01 / 2025

Name - Mrs. Sushila W/o Late Banshi,

Naik, Age – 56 Years,

Address – Q. No. 606, East Nepal Gate,

Churcha Colliery, P.O. & P.S.- Churcha,

District – Koriya, Chhattisgarh, 497339.

Mob. No.- 9399731638, 8770351441.

**Annexures: -**

1. Death Certificate of the deceased employee.
2. Service Sheet details of the deceased employee.
3. Form - B details of the deceased employee.
4. Office Order of S.E.C.L. Churcha Mine (R.O.), dated- 02.12.2021.
5. Succession Certificate with Order (Decree) of Competent Court, dated- 16.12.2024.
6. Application Letter No. 4230,4231, dated- 15.01.2022.
7. Application Letter No. 6005, dated- 03.03.2022.
8. Order Copy of WPS No. 3901/2024, dated- 15.07.2024 of Hon'ble High Court of Chhattisgarh, Bilaspur (C.G.).

**Copy to: -**

- 1.) Sub Area Manager, S.E.C.L., Churcha Mines (R.O.), District – Koriya (C.G.)
- 2.) Area Personnel Manager, S.E.C.L., Baikunthpur Area, District – Koriya (C.G.)
- 3.) Area General Manager, S.E.C.L., Baikunthpur Area, District – Koriya (C.G.)
- 4.) Director (Personnel), South Eastern Coalfields Limited, Bilaspur (C.G.)
- 5.) Chairman-Cum-Managing Director, South Eastern Coalfields Limited, Bilaspur(C.G.)
- 6.) Chief Vigilance Officer, South Eastern Coalfields Limited, Bilaspur (C.G.)
- 7.) Chairman-Cum-Managing Director, Coal India Limited, Kolkata (W.B.)
- 8.) Director (Personnel & Industrial Relations), Coal India Limited, Kolkata (W.B.)
- 9.) Chief Vigilance Officer, Coal India Limited, Kolkata (W.B.).

सं. 1  
No. 1

छत्तीसगढ़ शासन

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH

वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

DEPARTMENT OF FINANCE, PLANNING, ECONOMICS AND STATISTICS

DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS

नगर पालिक निगम रायपुर

MUNICIPAL CORPORATION RAIPUR

फॉर्म-6  
FORM-6मृत्यु प्रमाण-पत्र  
DEATH CERTIFICATE

(जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1969 की धारा 12 / 17 तथा छत्तीसगढ़ जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियम, 2001 के नियम 8/13 के अंतर्गत जारी किया गया।)

(ISSUED UNDER SECTION 12/17 OF THE REGISTRATION OF BIRTHS &amp; DEATHS ACT, 1969 AND RULE 8/13 OF THE CHHATTISGARH REGISTRATION OF BIRTHS &amp; DEATHS RULES 2001.)

यह प्रमाणित किया जाता है निम्नलिखित सूचना मृत्यु के मूल अभिलेख से ली गई है जो कि नगर पालिक निगम रायपुर तहसील रायपुर जिला रायपुर राज्य/संघ प्रदेश छत्तीसगढ़, भारत के रजिस्ट्रार से उपलब्ध है।

THIS IS TO CERTIFY THAT THE FOLLOWING INFORMATION HAS BEEN TAKEN FROM THE ORIGINAL RECORD OF DEATH WHICH IS THE REGISTER FOR MUNICIPAL CORPORATION RAIPUR OF TAHSIL/BLOCK RAIPUR OF DISTRICT RAIPUR OF STATE/UNION TERRITORY CHHATTISGARH, INDIA.

मृतक का नाम / NAME OF DECEASED : अमर कुमार नायक / AMAR KUMAR NAIK

लिंग / SEX: पुरुष / MALE

आधार नंबर / AADHAAR NO.:  
XXXXXXXX0700मृत्यु की तिथि / DATE OF DEATH:  
01-11-2021

FIRST-NOVEMBER-TWO THOUSAND TWENTY ONE

मृत्यु का स्थान / PLACE OF DEATH:

रामकृष्ण केयर मेडिकल साइंस रायपुर / RAMAKRISHNA CARE MEDICAL SCIENCE RAIPUR

मृतक की उम्र / AGE OF DECEASED:  
36 YEARS

पति / पत्नी का नाम / NAME OF HUSBAND / WIFE:

अधार नंबर / HUSBAND/WIFE AADHAAR NO.:

माता का नाम / NAME OF MOTHER:  
सुशीला / SUSHILAपिता का नाम / NAME OF FATHER:  
बन्धारी नायक / BANSHI NAIK

अधार नंबर / MOTHER'S AADHAAR NO.:

अधार नंबर / FATHER'S AADHAAR NO.:

मृत्यु के समय मृतक का पता / ADDRESS OF THE DECEASED AT THE TIME OF DEATH:

606, WARD NO-06 PURVI NEPAL GATE CHARCHA, SHIVPURI CHARCHA, BAIKUNTHPUR, BAIKUNTHPUR, KORIYA, CHHATTISGARH- 497339  
घाई नं-46 पूर्वी नेपाल गेट चर्चा,  
शिवपुरी चर्चा, बैकुण्ठपुर, बैकुण्ठपुर, कोरिया,  
छत्तीसगढ़- 497339

मृतक का स्थायी पता / PERMANENT ADDRESS OF DECEASED:

606, WARD NO-06 PURVI NEPAL GATE CHARCHA, SHIVPURI CHARCHA, BAIKUNTHPUR, BAIKUNTHPUR, KORIYA, CHHATTISGARH- 497339

पंजीकरण संख्या / REGISTRATION NO.:  
D-2021-22-90434-012613

बैकुण्ठपुर, बैकुण्ठपुर, कोरिया, छत्तीसगढ़- 497339

पंजीकरण तिथि / DATE OF REGISTRATION:  
11-11-2021

टिप्पणी / REMARKS (IF ANY):

जारी करने की तिथि / DATE OF ISSUE:  
11-11-2021

जारी करने वाला अधिकारी / ISSUING AUTHORITY

रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)  
REGISTRAR (BIRTH & DEATH)  
MUNICIPAL CORPORATION RAIPUR  
नगर पालिक निगम रायपुरUPDATED ON:  
2021-11-11"THIS IS A COMPUTER GENERATED CERTIFICATE WHICH CONTAINS FACSIMILE SIGNATURE OF THE ISSUING AUTHORITY"  
THE GOVT. OF INDIA VIDE CIRCULAR NO. 1/12/2014-VS(CRS) DATED 27-JULY-2015 HAS  
APPROVED THIS CERTIFICATE AS A VALID LEGAL DOCUMENT FOR ALL OFFICIAL PURPOSES.

\* प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें / ENSURE REGISTRATION OF EVERY BIRTH AND DEATH \*



Sushila



(15)

## South Eastern Coalfields Limited

Form B No. 4392 (8)

## SERVICE SHEET

Name in full SHREE AMAR NAIK  
 Father's Name LATE BANSHI NAIK  
 Birth's Place CHURCHA Place CHURCHA Village CHURCHA  
 P.O. CHURCHA COLLIERY CHURCHA COLLIERY  
 District KOREA State C. G.

NEIS No. 24911870

Permanent Address VILL:- GANGAPUR - 2  
AT. P.O. - MUNISHPENTHO, POTLAMPUR  
DIST. - GANJAM - ORISSA.

Nationality INDIAN SC/ST  
 Date of first appointment 25-02-2015 Designation TRAINEE (U.G.)  
 Date of Birth 10.01.1986 in words TENTH OF JANUARY NINETEEN HUNDRED EIGHTY SIX.  
 Personal marks for identification ONE HEALED WOUND SCAR MARK OVER KNEE.

Left hand thumb and finger impression of the employee:



Index Finger



Middle Finger



Ring Finger



Little Finger

Height ft. inches Provident Fund No. 

Brief particulars of the previous service in any Organisation counting towards gratuity and their verification.

*[Signature]*  
 Thumb impression  
 Signature of employee

Signature of Co-employee as witness

Designation 

*[Signature]*  
 Signature of Attesting officer प्रबंधक (फार्मिक)  
 Designation Manager (Personnel)  
चरचा (आर.ओ.)  
Churha (R.O.)

Termination of Service  Date of  and reason for Amount of gratuity given (in words) Signature of officer closing register Designation 

(1)



Sl.No.	Duties	Date	Examining Officer	Remarks
	Family Particular:-			20-8-17
I)	SMT. SUSHILA	MOTHER	52 years.	
II)	सुरज कुमार नायक	DOB 01.01.94		
III)	कुं पुनम	DOB 05.9.88		

3/3/16  
Manager (Personnel)  
चर्या (आर.ओ.)  
Churda (R.O.)

### Details of Employment and Charges on the SECL

Officer or Station	Capacity in which employee	Pay	Date		Office order or other authority	Initial of officer.
			From	To		
①	क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक लौकचपुर क्षेत्र द्वारा जारी नियुक्ति आदेश क्रमांक 26-ई-वीरक/मड/लौक/कार्मिक/43/1/2015 दिनांक 18.2.2015 के तहत जी अमर कुमार नाथ को आर.ओ. की क्षमता में आर.ओ. के पद पर नियुक्ति योजना के तहत प्रशिक्षण (यूजी) के पद पर नियुक्ति लौकचपुर क्षेत्र के उपक्षेत्रीय प्रबंधक, चर्या क्षेत्रों में पदस्थ किया है।					

② वरिष्ठ प्रबंधक कार्मिक चर्या आर.ओ. द्वारा जारी आदेश क्रमांक CH/PM/3215/4054 दिनांक 24.02.2015 के तहत जी अमर कुमार नाथ को आर.ओ. की क्षमता में आर.ओ. के पद पर नियुक्ति योजना के तहत प्रशिक्षण देते मुख्य प्रबंधक (अ) चर्या क्षेत्रों में पदस्थ किया है।

③ वरिष्ठ प्रबंधक आर.ओ. प्रबंधक चर्या भाग (आर.ओ.) द्वारा जारी आदेश क्रमांक सीएम/आर.ओ./सीएम/37115/529 दिनांक 28.05.2015 के तहत



# South Eastern Coalfields Limited

## FORM 'B'

(See Rule 48, 51, 77, and 77A(2))

- 1- Serial No. QR-15/365
- 2- Name and surname of the employee Nair  
For Amar Kumar
- 3- Father's name or Husband's Name Nair  
Late Banshi Nair
- Age and sex. 29 yrs 01 month 02 days  
DOB - 10.01.1986 (ASPS Form 10)  
(male)
- No and date of the certificate if any held under the Mines Vocational Training Rules 1966



- 6(a) Designation of the employee. U.G. (T)
- (b) Nature of employment (whether above or below ground and if above ground whether in opencast working or otherwise) U.G.

- 7- Home address of the employee, giving village, Thana, post Office and District. Flat No - 606, East Nepal gate  
At 2 po - Church's Colliery  
DIST - KOREA (C.G.) 677337

- 8- Date of commencement of employment. 25-02-2015

- 9- Date of appointment with the present owner. 25-02-2015

- 10- Date of termination or leaving of employment.

- 11- In case of an adolescent reference to certificate of fitness granted under Section 40.

*Death on 01/11/2021*  
*CH (N) SPSP/2021/30092*  
*21/12/2021*

- 12- Mark of identification on the body. SCAR MARK over knee right side.

- 13- Name address relationship of person to be informed in case of accident / emergency. Smt. Sushila, mother.

- 14- Token number and other particulars by which the employee may be identified

- 15- passport size photograph of the person employed

*Pasted*

- 16- Signature or Thumb Impression of the employee.

*[Signature]*

- 17- Remarks.

*only appointed as U.G. (T)*  
*dependent vide letter no- 2004*  
*CH (N) / 2015/241 dt- 18/12/2015*  
*issued by A.P.M. P.M.P.*

Signature of Manager

*Sushila*



South Eastern Coalfields Limited  
(A Subsidiary Company of Coal India Limited)  
(A Govt. of India Undertaking) A Mini Ratna Co.  
Office of the Sub Area Manager, Churha R.O.  
Personnel Department, Churha R.O.



साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड  
(कोल इण्डिया लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी)  
भारत सरकार का उपक्रम, 'मिनि रत्न कम्पनी'  
कार्यालय उपक्षेत्रीय प्रबंधक, चरचा अरओ  
कार्मिक विभाग, चरचा अरओ

Distt. : Korea (CG) 497339

जिला-कोरिया (छ.ग.) 497339

क्रमांक- सीएच(आरओओ)/सक्षेप्र/काप्र/2021/3009

दिनांक 01.12.2021

02

## कार्यालय आदेश

मृत्यु प्रमाणपत्र (जन्म-मृत्यु) नगर पालिक निगम रायपुर(छोगा) द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र दिनांक 18.11.2021 की छायाप्रति सहित आवेदन पत्र दिनांक 22.11.2021 संलग्न करते हुए श्रीमती सुशीला माता स्व० अमर नायक द्वारा सुचित किया गया है कि उनके पुत्र स्व० अमर नायक आ० बंसी नायक एनईआईएस कमांक 24911870, पदनाम-जनरल मजदुर कटे०1, चरचा माईन आरओओ की मृत्यु दिनांक 01.11.2021 को हुई है। कार्यालय द्वारा मृतक कर्मचारी की मृत्युप्रमाणपत्र को आनलाईन के माध्यम से सत्यापित किया गया है। उक्त प्रमाणपत्र के आधार पर स्व० अमर नायक आ० बंसी नायक एनईआईएस कमांक 24911870, पदनाम-जनरल मजदुर कटे०1, चरचा माईन आरओओ का नाम दिनांक 02.11.2021 से कंपनी के रोल से हटाया जाता है।

01	कर्मचारी का नाम/पिता का नाम	स्व० अमर नायक आ० स्व० बंसी नायक
02	एनईआईएस कमांक	24911870
03	जन्म तिथि	10.10.1986
04	नियुक्ति तिथि	25.02.2015
05	'बी' फार्म नं०	डीआर-15/365
06	सीएमपीएफ नं०	बीएलपी/70/1735
07	अंतिम कार्य दिवस	17.07.2021
08	मृत्यु तिथि	01.11.2021

स्व० अमर नायक आ० बंसी नायक एनईआईएस कमांक 24911870, पदनाम-जनरल मजदुर कटे०1, चरचा माईन आरओओ के आश्रित को सलाह दिया जाता है, कि यदि कंपनी का कोई सामग्री/बकाया (मेडिकल कार्ड/स्टोर सामग्री) इत्यादि हो तो संबंधित विभाग को सुपुर्द कर "कोई बकाया नहीं प्रमाणपत्र" प्राप्त कर कंपनी से मिलने वाली राशि के लिए दावा प्रस्तुत करें, साथ ही यह भी सलाह दिया जाता है कि कंपनी के प्रावधानों के अनुसार आश्रित को मिलने वाली रोजगार/ रोजगार के बदले मिलने वाली आर्थिक क्षतिपूर्ति राशि बाबत आवेदन शीघ्र प्रस्तुत करें, जिससे आगे की कार्यवाही की जा सके।

महाप्रबन्धक(खनन)/उप क्षेत्रीय प्रबन्धक,  
चरचा माईन (आरओओ)

वितरण:-

1. मुख्य प्रबंधक (खनन)/खान प्रबंधक, चरचा माईन(आरओओ)।
2. मुख्य प्रबंधक(वित्त), चरचा आरओओ।
3. प्रबंधक(कार्मिक), चरचा माईन (आरओओ)।
4. सीएमपीएफ/पेंशन सेल, चरचा माईन(आरओओ)।
5. श्रमशक्ति लिपिक चरचा माईन(आरओओ)।
6. संबंधित बिलिंग क्लर्क, चरचा माईन(आरओओ)।
7. समयपाल, चरचा माईन(आरओओ)।
8. सेवापुस्तिका।

प्रतिलिपि सादर सूचनार्थ:-

1. क्षेत्रीय कार्मिक प्रबन्धक, एसईसीएल बैकुण्ठपुर क्षेत्र।
2. क्षेत्रीय वित्त प्रबन्धक, एसईसीएल बैकुण्ठपुर क्षेत्र।
3. प्रमारी पद्धति विभाग, बैकुण्ठपुर क्षेत्र।

Sushila

प्रति,

सीमान् उपदेशीय प्रबंधक महोदय,  
स्त0ई0सी0स्त0 घरपा आर0ओ0.

आयक जावक विभाग
संक्र... 41230...
15/01/22
चरवा मर्डन आर.ओ.
पिन-497339

विषय:- आवेदिका के पुत्र अमर कुमार नायक के स्थान पर सुरज कुमार नायक को नौकरी दिये जाने का प्रस्ताव.

महोदय,

सविनय नम्र निवेदन है कि आवेदक सुशीला पीत स्व0 बी नायक जाति धीमा, निवास घरपा कालरी, तह0बेकुं0पुर, कोरिया उ0ग0 की निवासी है, आवेदिका का पुत्र अमर कुमार नायक आ0 स्व0बी नायक स्त0ई0सी0स्त0 घरपा कालरी पेट में पैदा हुआ। जनरल मजदूर के पद पर कार्यरत था, जिसका सेवाकाल के दौरान ही दिनांक 11/11/21 को निधन हो गया है, मेरे पुत्र स्व0 अमर कुमार नायक के स्थान पर छोटा पुत्र सुरज कुमार नायक को अनुत्पा नित्युक्त नौकरी प्रदान कराना चाहती हूँ।

अतः निवेदन है कि आवेदिका के पुत्र सुरज कुमार नायक को अनुत्पा नित्युक्त दिये जाने की प्रार्थना है।

दिनांक 14/01/22

संलग्न:-

अथवा प्रमूततः

Sushila

हस्ता0आवेदक.

सुशीला पीत स्व0बी नायक  
नि0 घरपा कालरी, तह0बेकुं0पुर,  
कोरिया उ0ग0.



प्रति,

श्रीमान उपरिणीय प्रबंधक महोदय,

रस्ताईसीरस्ता घरवा आरओ

आवेदक जावक विभाग
क्रमांक 4231
15/01/22
घरवा माईन आर.ओ.
फिन-497339

विषय:- आवेदक को उसके भाई के स्थान पर अनुत्था नियुक्ति प्रदान  
कर दिए जाने का पत्र-

महोदय,

सविनय नम्र निवेदन है कि आवेदक सुरज कुमार नायक आर  
रस्ताईसी नायक निवात घरवा कातरी, तहसीलकुंपुर, जोरिया षंगरा का  
हैं, तथा मेरा भाई अमर कुमार नायक रस्ताईसीरस्ता घरवा कातरी में फेगरी  
। जनरल मजदूर के पद पर कार्यरत था, जिसका सेवाकाल के दौरान ही  
दिनांक 1/11/21 को निधन हो गया है, मैं, अपने भाई रस्ताईसी अमर कुमार  
नायक के स्थान पर कातरी में अनुत्था नियुक्ति नौकरी प्राप्त करना चाहता हूँ

आतः निवेदन है कि आवेदक को उसके भाई के स्थान पर अनुत्था  
नियुक्ति दिये जाने की दया हो।

दिनांक 14/01/22

संलग्न:-

प्रमाणपत्र

Suraj Naik  
हस्ताक्षर आवेदक

|| सुरज कुमार नायक ||  
आर रस्ताईसी नायक, निवात  
घरवा कातरी, तहसीलकुंपुर,  
जोरिया षंगरा

सेवा में,

आवक जावक विभाग
अन्वयक..... 6005.....
03/03/22
चरचा माईन आर.ओ. पिन-497339

श्रीमान सहस्रनाथ प्रबंधक महोदय,  
एस. ई. सी. एल. बेंकुठपुर मेत,  
चरचा (आर. ओ.), निना - कोरिया।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति हेतु संबंधित दस्तावेजों की जमा करने हेतु  
अम्मे प्रावत ।

महोदय,

निवेदन है कि स्व. अमर कुमार नायक आ. स्व. वंशी नायक  
चरचा बेस्ट, Cwb-I के पद पर कार्यरत थे, जिनका एन.ई. आई. एस. नं.  
24 911870 है, दुर्घटना के कारण 01/11/2021 को उनकी मृत्यु हो  
गई, जिसके कारण घर की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो  
गई है। दिनांक 15/01/2022 को आवेदक द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति  
हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था, तत्पश्चात् नियुक्ति से संबंधित  
दस्तावेजों की जमा करने की आवश्यकता है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि आवेदक के अनुकम्पा  
नियुक्ति संबंधित दस्तावेजों की जमा करने की महान कृपा करें।

धन्यवाद

Sway Naik  
आवेदक

दिनांक - 02/03/2022

सुरज कुमार नायक  
आर. स्व. श्री वंशी नायक  
निवास - पूर्वी नेपाल गेट, चरचा  
कॉलरी, थाना - चरचा  
तहसील - बेंकुठपुर, कोरिया (द.ग.)

Sway Naik



Government of Chhattisgarh

e-Court Fee



District : Koriya

Date &amp; Time :20-DEC-2024 12:34:01

Establishment : Chief Judicial Magistrate, Koriya

Stockholding Reference No : EPSCT2001123412136694

Party Transaction No : CCGKY0220245907L

Name of litigant : Sushila

e-Court Fee Receipt No : CGCT2006L2438M651

e-Court Fee amount : Rs. 7800

( Rupees Seven Thousand Eight Hundred And Paise Zero Only)



CGCT2006L2438M651

Statutory Alert : The authenticity of this e-Court fee receipt should be verified at [www.shcilestamp.com](http://www.shcilestamp.com) . Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority. This receipt is required to be verified & locked by the Court official for further process in the Court.

Diary No. 77  
Verified & Locked  
04/01/2025



उत्तराधिकार प्रकरण क्रमांक 03/2022 पूजा नायक उर्फ काजल नायक प्रति

क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक, SECL वगैरह मे उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत न्याय शुल्क

(साक्षी दीक्षित)

प्रथम न्यायाधीश न्यायाधीश न्यायाधीश श्रेणी  
बैकुण्ठपुर जिला-कोरिया (छ.ग.)

Sushila

न्यायालय-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, कोरिया (बैकुण्ठपुर) छ 0 ग 0

स्टाम्प संख्या: .....

कुल ई-स्टाम्प मूल्य :- 7800/-

उत्तराधिकार प्रक.क्र. - 03/2022

विविध अपील क्रमांक - .....

—:०: उत्तराधिकार प्रमाण पत्र:०: -

1. श्रीमती पूजा नायक उर्फ काजल नायक पति स्व. श्री अमर कुमार नायक, उम्र 23 वर्ष,  
निवासी नेपाल गेट चरचा कॉलरी,  
जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)

.....आवेदिका

विरुद्ध

1. क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक महोदय,  
एस.ई.सी.एल. कार्यालय सहक्षेत्र प्रबंधक चरचा माईन,  
आर.ओ. पोस्ट चरचा कॉलरी, जिला - कोरिया (छ.ग.)
2. महाप्रबंधक महोदय,  
एस.ई.सी.एल. बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.)
3. मुख्य महाप्रबंधक महोदय,  
एस.ई.सी.एल. कार्यालय बिलासपुर (छ.ग.)
4. श्रीमती सुशीला पति स्व. वंशी नायक, उम्र 50 वर्ष,  
निवासी - नेपाल गेट चरचा, थाना चरचा तहसील बैकुण्ठपुर जिला-कोरिया (छ.ग.)
5. सर्वसाधारण

..... अनावेदकगण



(साक्षी दीक्षित)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी  
बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया, (छ.ग.)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी  
बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.)



-:०: प्रतिभूतियाँ:०:-

क्र.	संख्या	वर्णन	प्रतिभूति का नाम शीर्षक या वर्ग	प्रतिभूति का रकम या समतुल्य	प्रमाण पत्र के लिये आवेदन पत्र की तारीख की प्रतिभूति का बाजार मूल्य
1	2-	3-	4-	5-	
1	स्व० अमर कुमार नायक आ० स्व. श्री बंशी नायक निवासी ग्राम गंगापुर -2, पोस्ट-मनिसर्पेठो, पोटलमपुर, जिला गंजम ओडिशा हा.मु. 606 वार्ड नं. 06, पूर्वी नेपाल गेट चर्चा, शिवपुरी चर्चा, बैकुण्ठपुर जिला कोरिया (छ.ग.)	मृतक स्व० अमर कुमार नायक आ० स्व. श्री बंशी नायक की अनावेदक क्र० 1 से 3 के समक्ष सहायक श्रमायुक्त के कार्यालय में जमा ग्रेच्युटी की राशि 1,71,000/- (एक लाख इकहत्तर हजार रुपये) को अनावेदिका क्रमांक 04 सुशीला को देय	कुल जमा राशि 1,71,000/- (एक लाख इकहत्तर हजार रुपये) देय।	कुल जमा राशि 1,71,000/- (एक लाख इकहत्तर हजार रुपये) देय।	
योग-					जमा राशि 1,71,000/- (एक लाख इकहत्तर हजार रुपये) देय।



चूंकि अनावेदिका क्रमांक 04 श्रीमती सुशीला पति स्व. बंशी नायक, उम्र 50 वर्ष, निवासी - नेपाल गेट चरचा, थाना चरचा तहसील बैकुण्ठपुर जिला-कोरिया (छ.ग.), मृतक अमर कुमार नायक आ० स्व. श्री बंशी नायक के वैध उत्तराधिकारी है। फलतः उसे अनावेदक क्र० 1 से 3 के समक्ष सहायक श्रमायुक्त के कार्यालय में जमा ग्रेच्युटी की राशि 1,71,000/- (एक लाख इकहत्तर हजार रुपये) को प्राप्त करने हेतु उसके पराक्रमण करने के लिये सशक्त करता है।

आज दिनांक 03/01/2025 को न्यायालय की पद मुद्रा से हस्ताक्षरित कर जारी किया गया।

स्थान - बैकुण्ठपुर  
दिनांक-03/01/2025


(साक्षी दीक्षित)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी  
बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया, (छ.ग.)

बैकुण्ठपुर, दिनांक 03/01/2025

To,

**The Sub Area Manager,  
South Eastern Coalfields Limited,  
Office of Sub Area Manager, Churcha Mine (R.O.),  
District - Koriya, Chhattisgarh, 497339.**



**Subject:** – An application for indirect dependent employment on compassionate ground to applicant's younger son in place of applicant's deceased son Late Amar Kumar Naik, S/o Late Banshi Naik, N.E.I.S No. – 24911870, as Mentioned in Clause 9.3.0, 9.4.0, 9.5.0 of Chapter – IX of National Coal Wage Agreement – XI, dated- 01.06.2023.

**Ref:** - 1. Application Letter No. 4230, 4231, dated- 15.01.2022.  
2. Application Letter No. 6005, dated- 03.03.2022.

Respected sir,

With reference to application letter no. and subject cited above, it is to intimate you sir that, I, Mrs. Sushila W/o Late Banshi Naik, Age – 56 Years, residing at - Q. No. 606, East Nepal Gate, Churcha Colliery, District – Koriya, Chhattisgarh. The matter of concern is that, my elder son Late Amar Kumar Naik S/o Late Banshi Naik, who was working in West Block, Churcha Mine (R.O.), S.E.C.L., Area – Baikunthpur, in the Post of General Majdoor Cat- I, N.E.I.S. No.- 24911870, on compensation ground, after the sad demise of my husband in the year 2014. After that, due to an accident my son got injured and admitted to Ram Krishna Care Hospital, Raipur and during the treatment my son got died, on 01/11/2021 in harness.

After, the sad demise of my elder son, I approached the concerned authority to get some relief to stable our family worse condition and to overcome this disastrous amount of pain, what we have obtained, from the sudden demise of my elder son, who was the only bread earner in the family and our family wholly depends upon his earnings. We, submitted various applications for terminal benefits (various funds), indirect dependent employment of my deceased son, who was nominated me in his service sheet, From-B and in many others proforma as per S.E.C.L. Norms, during his service period. but, the same has not been paid by the "Personnel Managers" of the respective office of Subarea manager, S.E.C.L., Churcha Mine (R.O.), for their own profit cut.

After that, Personnel managers, provides too much troubles for the family of mine, and they did not release any single amount in this regard, saying by their own words with oral statements that, he has wife, so we are unable to pay you. but, they neither have any kind of evidence, legally valid documents nor any names mentioned as a "wife" in my deceased son's service record documents and rejects all the applications related to payment for the same and do not want to listen our plea raised after, my son sad demise. Then, we informed the same in this regard to the higher authorities as well, then "Personnel Managers" perform further process of cessation in my deceased son's terminal benefits with help of that lady, filed one fake civil suit in Section 372 of "Indian Succession Act- 1925" in the court of 1<sup>st</sup> Civil Judge, Class- I, District and Sessions Court, Baikunthpur, District- Koriya (C.G.) and

Sushila



To,

**The Chairman-Cum-Managing Director,  
South Eastern Coalfields Limited,  
SECL Headquarters, Seepat Road,  
Bilaspur, Chhattisgarh, 495006.**

**Subject:** - An application for indirect dependent employment on compassionate ground to applicant's younger son in place of applicant's deceased son Late Amar Kumar Naik, S/o Late Banshi Naik, N.E.I.S No. - 24911870, as Mentioned in Clause 9.3.0, 9.4.0, 9.5.0 of Chapter - IX of National Coal Wage Agreement - XI, dated- 01.06.2023.

**Ref:** - 1. Application Letter No. 4230, 4231, dated- 15.01.2022.  
2. Application Letter No. 6005, dated- 03.03.2022.

Respected sir,

With reference to application letter no. and subject cited above, it is to intimate you sir that, I, Mrs. Sushila W/o Late Banshi Naik, Age - 56 Years, residing at - Q. No. 606, East Nepal Gate, Churcha Colliery, District - Koriya, Chhattisgarh. The matter of concern is that, my elder son Late Amar Kumar Naik S/o Late Banshi Naik, who was working in West Block, Churcha Mine (R.O.), S.E.C.L., Area - Baikunthpur, in the Post of General Majdoor Cat- I, N.E.I.S. No.- 24911870, on compensation ground, after the sad demise of my husband in the year 2014. After that, due to an accident my son got injured and admitted to Ram Krishna Care Hospital, Raipur and during the treatment my son got died, on 01/11/2021 in harness.

After, the sad demise of my elder son, I approached the concerned authority to get some relief to stable our family worse condition and to overcome this disastrous amount of pain, what we have obtained, from the sudden demise of my elder son, who was the only bread earner in the family and our family wholly depends upon his earnings. We, submitted various applications for terminal benefits (various funds), indirect dependent employment of my deceased son, who was nominated me in his service sheet, From-B and in many others proforma as per S.E.C.L. Norms, during his service period. but, the same has not been paid by the "Personnel Managers" of the respective office of Subarea manager, S.E.C.L., Churcha Mine (R.O.), for their own profit cut.

After that, Personnel managers, provides too much troubles for the family of mine, and they did not release any single amount in this regard, saying by their own words with oral statements that, he has wife, so we are unable to pay you. but, they neither have any kind of evidence, legally valid documents nor any names mentioned as a "wife" in my deceased son's service record documents and rejects all the applications related to payment for the same and do not want to listen our plea raised after, my son sad demise. Then, we informed the same in this regard to the higher authorities as well, then "Personnel Managers" perform further process of cessation in my deceased son's terminal benefits with help of that lady, filed one fake civil suit in Section 372 of "Indian Succession Act- 1925" in the court of 1<sup>st</sup> Civil Judge Class- I, District and Sessions Court, Baikunthpur, District- Koriya (C.G.) and

**SECL/CMD**

**Dy. No.** 12/12/25

**Date** 12/12/25

To,

**The Area Personnel Manager,  
South Eastern Coalfields Limited,  
Office of General Manager, Baikunthpur Area,  
District - Koriya, Chhattisgarh, 497335.**

**Subject:** – An application for indirect dependent employment on compassionate ground to applicant's younger son in place of applicant's deceased son Late Amar Kumar Naik, S/o Late Banshi Naik, N.E.I.S No. – 24911870, as Mentioned in Clause 9.3.0, 9.4.0, 9.5.0 of Chapter - IX of National Coal Wage Agreement – XI, dated- 01.06.2023.

**Ref:** - 1. Application Letter No. 4230, 4231, dated- 15.01.2022.  
2. Application Letter No. 6005, dated- 03.03.2022.

Respected sir,

With reference to application letter no. and subject cited above, it is to intimate you sir that, I, Mrs. Sushila W/o Late Banshi Naik, Age – 56 Years, residing at - Q. No. 606, East Nepal Gate, Churcha Colliery, District – Koriya, Chhattisgarh. The matter of concern is that, my elder son Late Amar Kumar Naik S/o Late Banshi Naik, who was working in West Block, Churcha Mine (R.O.), S.E.C.L., Area – Baikunthpur, in the Post of General Majdoor Cat- I, N.E.I.S. No.- 24911870, on compensation ground, after the sad demise of my husband in the year 2014. After that, due to an accident my son got injured and admitted to Ram Krishna Care Hospital, Raipur and during the treatment my son got died, on 01/11/2021 in harness.

After, the sad demise of my elder son, I approached the concerned authority to get some relief to stable our family worse condition and to overcome this disastrous amount of pain, what we have obtained, from the sudden demise of my elder son, who was the only bread earner in the family and our family wholly depends upon his earnings. We, submitted various applications for terminal benefits (various funds), indirect dependent employment of my deceased son, who was nominated me in his service sheet, From-B and in many others proforma as per S.E.C.L. Norms, during his service period. but, the same has not been paid by the "Personnel Managers" of the respective office of Subarea manager, S.E.C.L., Churcha Mine (R.O.), for their own profit cut.

After that, Personnel managers, provides too much troubles for the family of mine, and they did not release any single amount in this regard, saying by their own words with oral statements that, he has wife, so we are unable to pay you. but, they neither have any kind of evidence, legally valid documents nor any names mentioned as a "wife" in my deceased son's service record documents and rejects all the applications related to payment for the same and do not want to listen our plea raised after, my son sad demise. Then, we informed the same in this regard to the higher authorities as well, then "Personnel Managers" perform further process of cessation in my deceased son's terminal benefits with help of that lady, filed one fake civil suit in Section 372 of "Indian Succession Act- 1925" in the court of 1<sup>st</sup> Civil Judge, Class- I, District and Sessions Court, Baikunthpur, District- Koriya (C.G.) and

Sushila



To,

**The Director (Personnel),  
South Eastern Coalfields Limited,  
SECL Headquarters, Seepat Road,  
Bilaspur, Chhattisgarh, 495006.**

**Subject:** – An application for indirect dependent employment on compassionate ground to applicant's younger son in place of applicant's deceased son Late Amar Kumar Naik, S/o Late Banshi Naik, N.E.I.S No. – 24911870, as Mentioned in Clause 9.3.0, 9.4.0, 9.5.0 of Chapter - IX of National Coal Wage Agreement – XI, dated- 01.06.2023.

**Ref:** – 1. Application Letter No. 4230, 4231, dated- 15.01.2022.  
2. Application Letter No. 6005, dated- 03.03.2022.

Respected sir,

With reference to application letter no. and subject cited above, it is to intimate you sir that, I, Mrs. Sushila W/o Late Banshi Naik, Age – 56 Years, residing at – Q. No. 606, East Nepal Gate, Churcha Colliery, District – Koriya, Chhattisgarh. The matter of concern is that, my elder son Late Amar Kumar Naik S/o Late Banshi Naik, who was working in West Block, Churcha Mine (R.O.), S.E.C.L., Area – Baikunthpur, in the Post of General Majdoor Cat- I, N.E.I.S. No.- 24911870, on compensation ground, after the sad demise of my husband in the year 2014. After that, due to an accident my son got injured and admitted to Ram Krishna Care Hospital, Raipur and during the treatment my son got died, on 01/11/2021 in harness.

After, the sad demise of my elder son, I approached the concerned authority to get some relief to stable our family worse condition and to overcome this disastrous amount of pain, what we have obtained, from the sudden demise of my elder son, who was the only bread earner in the family and our family wholly depends upon his earnings. We, submitted various applications for terminal benefits (various funds), indirect dependent employment of my deceased son, who was nominated me in his service sheet, From-B and in many others proforma as per S.E.C.L. Norms, during his service period. but, the same has not been paid by the "Personnel Managers" of the respective office of Subarea manager, S.E.C.L., Churcha Mine (R.O.), for their own profit cut.

After that, Personnel managers, provides too much troubles for the family of mine, and they did not release any single amount in this regard, saying by their own words with oral statements that, he has wife, so we are unable to pay you. but, they neither have any kind of evidence, legally valid documents nor any names mentioned as a "wife" in my deceased son's service record documents and rejects all the applications related to payment for the same and do not want to listen our plea raised after, my son sad demise. Then, we informed the same in this regard to the higher authorities as well, then "Personnel Managers" perform further process of cessation in my deceased son's terminal benefits with help of that lady, filed one fake civil suit in Section 372 of "Indian Succession Act- 1925" in the court of 1<sup>st</sup> Civil Judge, Class- I, District and Sessions Court, Baikunthpur, District- Koriya (C.G.) and

प्रति प्राप्त किया  
N2  
निदेशक (विशेष) सचिवालय  
23/11/25

To,

**The Area General Manager,  
South Eastern Coalfields Limited,  
Office of General Manager, Baikunthpur Area,  
District - Koriya, Chhattisgarh, 497335.**

**Subject:** – An application for indirect dependent employment on compassionate ground to applicant's younger son in place of applicant's deceased son Late Amar Kumar Naik, S/o Late Banshi Naik, N.E.I.S No. – 24911870, as Mentioned in Clause 9.3.0, 9.4.0, 9.5.0 of Chapter - IX of National Coal Wage Agreement – XI, dated- 01.06.2023.

**Ref:** – 1. Application Letter No. 4230, 4231, dated- 15.01.2022.  
2. Application Letter No. 6005, dated- 03.03.2022.

Respected sir,

With reference to application letter no. and subject cited above, it is to intimate you sir that, I, Mrs. Sushila W/o Late Banshi Naik, Age – 56 Years, residing at - Q. No. 606, East Nepal Gate, Churcha Colliery, District – Koriya, Chhattisgarh. The matter of concern is that, my elder son Late Amar Kumar Naik S/o Late Banshi Naik, who was working in West Block, Churcha Mine (R.O.), S.E.C.L., Area – Baikunthpur, in the Post of General Majdoor Cat- I, N.E.I.S. No.- 24911870 on compensation ground, after the sad demise of my husband in the year 2014. After that, due to an accident my son got injured and admitted to Ram Krishna Care Hospital, Raipur and during the treatment my son got died, on 01/11/2021 in harness.

After, the sad demise of my elder son, I approached the concerned authority to get some relief to stable our family worse condition and to overcome this disastrous amount of pain, what we have obtained, from the sudden demise of my elder son, who was the only bread earner in the family and our family wholly depends upon his earnings. We, submitted various applications for terminal benefits (various funds), indirect dependent employment of my deceased son, who was nominated me in his service sheet, From-B and in many others proforma as per S.E.C.L. Norms, during his service period. but, the same has not been paid by the "Personnel Managers" of the respective office of Subarea manager, S.E.C.L., Churcha Mine (R.O.), for their own profit cut.

After that, Personnel managers, provides too much troubles for the family of mine, and they did not release any single amount in this regard, saying by their own words with oral statements that, he has wife, so we are unable to pay you. but, they neither have any kind of evidence, legally valid documents nor any names mentioned as a "wife" in my deceased son's service record documents and rejects all the applications related to payment for the same and do not want to listen our plea raised after, my son sad demise. Then, we informed the same in this regard to the higher authorities as well, then "Personnel Managers" perform further process of cessation in my deceased son's terminal benefits with help of that lady, filed one fake civil suit in Section 372 of "Indian Succession Act- 1925" in the court of 1<sup>st</sup> Civil Judge Class- I, District and Sessions Court, Baikunthpur, District- Koriya (C.G.) and



Sushila



Copy to - (VI)

To,

**The Chief Vigilance Officer,  
Office of Vigilance Department,  
South Eastern Coalfields Limited,  
Seepat Road, Bilaspur, Chhattisgarh, 495006.**

**Subject:** – An application for indirect dependent employment on compassionate ground to applicant's younger son in place of applicant's deceased son Late Amar Kumar Naik, S/o Late Banshi Naik, N.E.I.S No. – 24911870, as Mentioned in Clause 9.3.0, 9.4.0, 9.5.0 of Chapter - IX of National Coal Wage Agreement – XI, dated- 01.06.2023.

**Ref:** - 1. Application Letter No. 4230, 4231 dated 15.01.2022.  
2. Application Letter No. 6005 dated 03.03.2022.

Respected sir,

With reference to application letter no. and subject cited above, it is to intimate you sir that, I, Mrs. Sushila W/o Late Banshi Naik, Age – 56 Years, residing at - Q. No. 606, East Nepal Gate, Churcha Colliery, District – Koriya, Chhattisgarh. The matter of concern is that, my elder son Late Amar Kumar Naik S/o Late Banshi Naik, who was working in West Block, Churcha Mine (R.O.), S.E.C.L., Area – Baikunthpur, in the Post of General Majdoor Cat- I, N.E.I.S. No.- 24911870, on compensation ground, after the sad demise of my husband in the year 2014. After that, due to an accident my son got injured and admitted to Ram Krishna Care Hospital, Raipur and during the treatment my son got died, on 01/11/2021 in harness.

After, the sad demise of my elder son, I approached the concerned authority to get some relief to stable our family worse condition and to overcome this disastrous amount of pain, what we have obtained, from the sudden demise of my elder son, who was the only bread earner in the family and our family wholly depends upon his earnings. We, submitted various applications for terminal benefits (various funds), indirect dependent employment of my deceased son, who was nominated me in his service sheet, From-B and in many others proforma as per S.E.C.L. Norms, during his service period. but, the same has not been paid by the "Personnel Managers" of the respective office of Subarea manager, S.E.C.L., Churcha Mine (R.O.), for their own profit cut.

After that, Personnel managers, provides too much troubles for the family of mine, and they did not release any single amount in this regard, saying by their own words with oral statements that, he has wife, so we are unable to pay you. but, they neither have any kind of evidence, legally valid documents nor any names mentioned as a "wife" in my deceased son's service record documents and rejects all the applications related to payment for the same and do not want to listen our plea raised after, my son sad demise. Then, we informed the same in this regard to the higher authorities as well, then "Personnel Managers" perform further process of cessation in my deceased son's terminal benefits with help of that lady, filed one fake civil suit in Section 372 of "Indian Succession Act- 1925" in the court of 1<sup>st</sup> Civil Judge Class- I, District and Sessions Court, Baikunthpur, District- Koriya (C.G.) and



For Reference Express No./22443/2024 -- e-Court Fee No. CGCT2130H2401L577

1

NAFR

**HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR**

**WPS No. 3901 of 2024**

1 - Suraj Kumar Naik S/o Late Shri Banshi Lal Naik Aged About 30 Years R/o Ward No. 06, Purvi Nepal Gate, Charcha, Post And P.S. Charcha, Baikunthpur District Korea (C.G.), Shivpur, Charcha, District Korea (C.G.)

--- Petitioner

**Versus**

1 - South Eastern Coalfield Limited, Through Director, Head Office Seepat Road, Bilaspur (Chhattisgarh)

2 - General Manager (E And A) South Eastern Coalfields Limited, Seepat Road, Bilaspur (Chhattisgarh)

3 - Chief General Manager South Eastern Coalfields Limited Baikunthpur Area Baikunthpur, District Korea (C.G.)

4 - Area Personnel Manager South Eastern Coalfield Limited Baikunthpur Area Baikunthpur District Korea (C.G.)

5 - Sub - Area Manager South Eastern Coalfield Limited, Sub Area Charcha, District Korea (C.G.)

6 - Dy Personnel Manager South Eastern Coalfields Limited, Sub- Area Charcha, District Korea (C.G.)

7 - Pooja Parida @ Nayak D/o Satyawadi Parida R/ At- C/o Kangress Pallai, Ward Number 02, Near Gyandeep School, Charchapara, P.S. And P.O. Charcha, District Korea, Chhattisgarh, 497339, Permanent Address - Village Modhopur, P.O. And P.S. Chatrapur, Odisha, 761026

--- Respondents

Mr. K.P.S. Gandhi, learned counsel for the petitioner.

Mr. Vinod Deshmukh, learned counsel for the respondent Nos. 1 to 6.

**Hon'ble Shri Justice Sachin Singh Rajput,**

**Order on Board**

**15.07.2024**

This writ petition has been filed by the petitioner claiming following reliefs :

Sushila





- i. To issue direction to the respondent authorities concerned to produce the entire records pertaining to present writ petition.
- ii. To issue appropriate writ/writs, orders, direction / directions thereby directing the respondent to consider the case of petitioner for appointment on the ground of compassionate.
- iii. Grant any other relief or pass such other and further orders as may be deemed fit and proper in the facts and circumstances of the present case in the interest of justice.

2. Learned counsel for the petitioner submits that the petitioner is the brother of the deceased employee namely Amar Kumar Naik who was working as General Majdoor category one with the respondent SECL and he died on 01.11.2021 in harness. He submits that on 14.01.2022, the petitioner made an application for consideration of his case of appointment of compassionate ground and the claim has not been decided as yet.

3. Mr. Deshmukh submits that the respondent No. 7 herein who claimed herself the wife of the deceased employee, also made an application for appointment on compassionate ground. It has been further submitted that a case of succession is also pending consideration before the competent Court which is filed by respondent No. 7 against the mother of the petitioner therefore, there is a rival claim and in due course of time after the succession is decided by the competent court, appropriate decision would be taken by the respondent SECL with regard to compassionate appointment either to the petitioner herein or to respondent No. 7.

4. Be that as it may, in light of above at present writ petition is dispose of reserving liberty in favour of the petitioner to approach this Court if any cause of action still subsists and any adverse order is passed against him by the respondent SECL while deciding the claim of compassionate appointment.

5. With the above liberty, the writ petition is disposed off.

Sd/-

(Sachin Singh Rajput)  
Judge

PAWAN



Sushila





Express No./22443/2024 -- e-Court Fee No. CGCT2130H2401L577

21/08/2024	(1) Application received on
22/08/2024	(2) Applicant told to appear on
21/08/24	(3) Applicant appeared on
21/08/2024	(4) Application (With or without further or correct particulars) sent to record-room
---	(5) Application received from record-room with record or without record for further or correct particulars on
---	(6) Applicant given notice for further or correct particulars on
---	(7) Applicant given notice for further fundic on
---	(8) Notice in column (6) or (7) complied with on
21/08/2024	(9) Copy ready on
21/08/24	(10) Copy delivered or sent on
18/	(11) Court-fee realis.

Copyist

Comparer

Head Copyist

21/08/24

आदेश दिनांक 16/12/24 की उमाणित्र प्रतिलिपि

1



पूजा नायक उर्फ काजल नायक प्रति क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक, एस०ई०सी०एल चरचा वगैः

न्यायालय:- प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया, छ०ग०  
(पीठासीन अधिकारी:- समीर कुजूर)

उत्तराधिकार प्र.क्र. - 03/2022

संस्थित दिनांक 14.01.2022

CIS .NO. -20/2023

CNR .NO. CGKY02-000030-2022

1. श्रीमती पूजा नायक उर्फ काजल नायक पति स्व 0 अमर कुमार नायक, आयु 23 वर्ष, निवासी-नेपाल गेट चरचा कॉलरी, जिला कोरिया छ०ग०

.....आवेदिका

//प्रति//

1. क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक महोदय,  
एस०ई०सी०एल कार्यालय सहक्षेत्र प्रबंधक चरचा माईन  
आर०ओ० पोस्ट चरचा कॉलरी, जिला कोरिया छ०ग०
2. महाप्रबंधक महोदय,  
एस०ई०सी०एल बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया छ०ग०
3. मुख्य महाप्रबंधक महोदय,  
एस०ई०सी०एल कार्यालय बिलासपुर छ०ग०
4. श्रीमती सुशीला पति स्व 0 वंशी नायक, उम्र-50 वर्ष,  
निवासी-नेपाल गेट चरचा, थाना चरचा तह 0 बैकुण्ठपुर, जिला  
कोरिया छ०ग०
5. सर्वसाधारण

.....अनावेदकगण



16/12/24  
(समीर कुजूर)  
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-01  
बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया



CF-4-

Sushila





2

पूजा नायक उर्फ काजल नायक प्रति सेवीय कार्मिक प्रबंधक, एस०ई०सी०एल घरगा वी:

-- आदेश --

(आज दिनांक 16/12/2024 को पारित किया गया)

- 01- इस आदेश के द्वारा आवेदिका की ओर से प्रस्तुत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने बावत् प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 का निराकरण किया जा रहा है।
- 02- प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत है कि स्व० अमर कुमार नायक के स्वत्व की ग्रेजुएटी की राशि 1,71,000/-रुपए नियमानुसार सहायक श्रमायुक्त के कार्यालय में जमा की गयी है।
- 03- आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 संक्षेपतः यह है कि स्व० अमर कुमार नायक आ० स्व० वंशी नायक अनावेदक क्र. 1, 2, 3 के कालरी प्रबंधन के अधीनस्थ चरचा कालरी में कार्यरत थे, जिनका राम कृष्ण केयर मेडिकल साइंस रायपुर छ०ग० के अस्पताल में ईलाज के दौरान दिनांक 01/11/2021 मृत्यु हो जाने के कारण अनावेदक क्र० 1, 2, 3 के कालरी प्रबंधन में पी०एफ० 6,50,000/- रुपये (छः लाख पचास हजार रुपये) एवं ग्रेजुएटी 1,71,000/- रुपये (एक लाख इकहत्तर हजार रुपये) का भुगतान मय ब्याज अनावेदक क्र० 1, 2, 3 के प्रबंधन में भुगतान हेतु लंबित है। उक्त राशि के भुगतान प्राप्तार्थ अनावेदक क्र० 1 के द्वारा आवेदिका को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने को कहा गया है। मृतक की आवेदिका पत्नी है और अनावेदिका क्र० 04 मृतक की



*[Signature]*  
16/12/24  
सहायक श्रमायुक्त वी-01  
रायपुर-छ०ग० (उ.प्र.)



पूजा नायक उर्फ काजल नायक प्रति क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक, एस०ई०सी०एल घरवा की:

मां है। आवेदिका एवं अनावेदिका क्र० 04 स्व० अमर कुमार नायक के साथ रहकर उन पर आश्रित होकर एकमात्र उत्तराधिकारी है। मृतक स्व० अमर कुमार नायक के पिता की मृत्यु हो चुकी है, इस तरह आवेदिका एवं अनावेदिका क्रमांक 04 के अतिरिक्त अन्य कोई उत्तराधिकारी शेष नहीं है। अतः निवेदन है कि आवेदिका का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर स्व० अमर कुमार नायक की अनावेदक क्र० 1, 2, 3 के प्रबंधन से देय राशि पी०एफ० 6,50,000/- रुपये (छः लाख पचास हजार रुपये) एवं ग्रेजुएटी 1,71,000 /- रुपये (एक लाख इकहत्तर हजार रुपये) मय ब्याज प्राप्त करने हेतु आवेदिका के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का निवेदन किया गया।

04- अनावेदक क्र.01 व 02 का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकरण है कि कामगार स्व. अमर कुमार नायक आ. बंशी नायक के स्वत्यों की ग्रेजुएटी राशि नियमानुसार सहायक श्रम आयुक्त केन्द्रीय रायपुर को 1,71,535/- रुपये दिनांक 11/02/2022 को डी.डी. क्रमांक 000699 एक्सिस बैंक के माध्यम से भेजा जा चुका है सी.एम.पी.एफ. की राशि सी.एम.पी.एफ. कार्यालय बिलासपुर में जमा होती है जिसका विवरण एवं लेखा जोखा उन्हीं के कार्यालय में संधारित होता है इसलिए इसकी जानकारी उन्हीं से प्राप्त किया जाना चाहिए। कामगार अमर कुमार नायक के सेवा अभिलेखों में श्रीमती सुशीला बाई को माता, सूरज कुमार-भाई कुमारी पुनम-बहन दर्ज कराया गया है, आवेदिका का नाम वारिस/आश्रित/पत्नी के रूप में दर्ज नहीं है। आवेदिका ने उपरोक्त नामित सभी व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाया है। ग्रेजुएटी राशि सहायक श्रम



(समीर कुमार)  
प्रथम व्यक्तित्व न्यायाधीश वर्ग-01  
रायपुर, छत्तीसगढ़ (व.ग.)



CF-4-





पूजा नायक उर्फ काजल नायक प्रति क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक, एस०ई०सी०एल चरचा बगैः

आयुक्त केन्द्रीय रायपुर को 1,71,535/- रुपये भेजी जा चुकी है तथा सी.एम.पी.एफ. की राशि सी.एम.पी.एफ. कार्यालय बिलासपुर में जमा है, जिसके लिए कामगार अमर कुमार ने उनकी माता श्रीमती सुशीला देवी के पक्ष में नामांकन किया गया है, इस प्रकार अनावेदकों क्र.01 एवं 02 के कार्यालय में ऐसा कोई भुगतान शेष नहीं है तथा कार्यालय में स्व. अमर कुमार नायक के स्वत्वों की किसी राशि का भुगतान लम्बित नहीं है। आवेदिका पूजा नायक का नाम कामगार स्व. अमर कुमार के सेवा अभिलेख में देज नहीं है, इसलिए वह कोई अनुतोष या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखती है। अतः आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया।

05- अनावेदिका क्र.04 सुशीला नायक का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि मृतक अमर कुमार नायक का विवाह नहीं हुआ था, वह अविवाहित था तथा उसके सेवा पुस्तिका में उसकी माता अनावेदिका क्रमांक-04 सुशीला नामित है। मृतक अमर कुमार नायक के अविवाहित होने के कारण आवेदिका का मृतक अमर कुमार नायक से विवाह ही नहीं हुआ है और न ही मृतक के साथ कभी कोई रिश्ता रहा है, इसलिए आवेदिका मृतक अमर कुमार नायक की उत्तराधिकारी भी नहीं है तथा वह अपने पुत्र अमर कुमार नायक के साथ रहती थी और उसी पर आश्रित थी इसलिए अमर कुमार नायक के मृत्यु के बाद स्व० अमर कुमार नायक की एकमात्र उत्तराधिकारी है। मृतक के चल संपत्ति नगद जमा रकम पी०एफ० 6,50,000/- रुपये (छः लाख पचास हजार रुपये) एवं ग्रेच्युटी की राशि 1,71,000/- रुपये (एक लाख एकहत्तर हजार रुपये) मय व्याज



15/11/24  
एसएम व्यक्तित्व विकास विभाग-01  
बिलासपुर, चित्तूर-कोरिया (छ.प्र.)



पूजा नायक उर्फ काजल नायक प्रति क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक, एस०ई०सी०एल घरवा कौ:

प्राप्त करने के लिए एकमात्र उत्तराधिकारी अनावेदिका क्रमांक-04 ही है। मृतक अमर कुमार नाय आ 0 बंशी कुमार नायक द्वारा अपने जीवन काल में एस०ई०सी०एल० कार्यालय में अपने परिवार विवरण में माता सुशीला, भाई सुरज कुमार नायक व बहन पूनम नायक का नाम सर्विस रिकार्ड में दर्ज कराया गया है। अनावेदिका क्र.04 सुशीला नायक स्व० अमर कुमार नायक की एकमात्र उत्तराधिकारी है। अतः आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया।

06- आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के सम्यक निराकरण हेतु निम्नानुसार जांच बिन्दु है, जिनके निष्कर्ष उनके सम्मुख अंकित किये जाकर निष्कर्ष के आधार पश्चात दिये गये हैं-

क्रमांक	जांच बिन्दु	निष्कर्ष
01.	क्या आवेदिका उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अधिकारिणी हैं?	"नासाबित"
02.	क्या अनावेदिका क्र.04 उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अधिकारिणी हैं?	"अशंत साबित"
03.	सहायता एवं आवेदन व्यय।	कंडिका 22 के अनुसार

#### जाँच बिन्दु क्रमांक-01 पर

साक्ष्य का क्रमबन्धन तथा विवेचना सहित सकारण निष्कर्ष:-

07- आवेदिका पूजा नायक अपने अपने अभिकथनों के समर्थन में पंजीकृत वैधानिक सूचना प्र.पी.-01, रजिस्ट्री पावती प्र.पी.-02, ट्रैक कंसाइन्मेंट प्र.पी.-03 एवं

(सं. 16/11/24)  
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-01  
यमुनपुर, जिला-कोरिया (उ.ग.)



CF-4-

SyShila





पूजा नायक वर्फ काजल नायक प्रति श्रेणीय कार्मिक प्रबंधक, एसआईसीएल धरवा वगैः

प्र.पी.-04, महाप्रबंधक एसआईसीएल विलासपुर को प्रेषित सूचना लेने से इंकार की टीप के साथ वापस प्राप्त लिफाफा प्र.पी.-05, आवेदिका का आधार कार्ड प्र.पी.-06, सगाई का मूल प्रमाण पत्र प्र.पी.-07, सगाई प्रमाण पत्र का अंग्रेजी अनुवादी प्र.पी.-08, स्व. अमर कुमार नायक का मूल मृत्यु प्रमाण पत्र प्र.पी.-09, स्टेट बैंक के पासबुक की मूल प्रति प्र.पी.-10, उड़ीसा शासन द्वारा जारी वारिसान प्रमाण पत्र प्र.पी.-11, कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला कोरिया छ.ग. की शिकायत जांच प्रतिवेदन सूचना के अधिकार अधिनियम प्र.पी.-12 जो तीन फर्द में है, फोटोग्राफ प्र.पी.-12 ए, प्र.पी.-13, प्र.पी.-14 तथा निमंत्रण कार्ड प्र.पी.-15 प्रस्तुत की है तथा स्वयं को स्व. अमर कुमार नायक की पत्नी होने के आशय का साक्ष्य दी है।

08- आवेदिका पूजा नायक शपथ पत्र पर यह कथन की है कि स्व. अमर कुमार नायक आ स्व. वंशी नायक उसके पति थे, जो एसआईसीएल चरचा कॉलरी में कार्यरत थे, जिनका निधन दिनांक 01.11.2021 को रामकृष्ण केयर अस्पताल रायपुर में इलाज के दौरान हो गया है। आवेदिका पूजा नायक के अनुसार वह एवं अनावेदिका क्रमांक 04 सुशीला नायक, जो उसकी सास है, स्व. अमर कुमार नायक पर आश्रित होकर एक मात्र उत्तराधिकारी हैं तथा उन दोनों के अतिरिक्त उसके पति का कोई अन्य उत्तराधिकारी नहीं है। आवेदिका पूजा नायक के उपरोक्त साक्ष्य का समर्थन आवेदक साक्षी अभि प्रधान एवं कंगाली ने भी किया है।



  
16/11/24



पूजा नायक उर्फ काजल नायक प्रति वैवाहिक प्रबंधक, एत०ई०सी०एल घरवा वगैः

09- आवेदिका पूजा नायक के अभिकथनों एवं दिए गए साक्ष्य का खण्डन करते हुए अनावेदिका सुशीला नायक, मृतक अमर कुमार नायक को अविवाहित होने का साक्ष्य दी है। अनावेदिका सुशीला नायक के अनुसार स्व. अमर कुमार नायक उसका पुत्र था, जो अविवाहित था तथा अमर कुमार नायक का आवेदिका के साथ विवाह नहीं हुआ है। अनावेदिका सुशीला नायक यह कथन भी की है कि आवेदिका पूजा नायक फर्जी पत्नी बनकर उत्तराधिकार दावा प्रस्तुत की है। अनावेदिका सुशीला नायक के उपरोक्त साक्ष्य का समर्थन अनावेदक साक्षी शिवराम यादव एवं मंजू ने भी अपने शपथ पत्र पर किया है। अनावेदिका सुशीला नायक यह साक्ष्य भी दी है कि मृतक स्व. अमर कुमार नायक के सेवा अभिलेखों में नॉमिनी के रूप में माता सुशीला नायक, भाई सूरज कुमार नायक एवं बहन पूनम का नाम दर्ज है। इस प्रकार आवेदिका पूजा नायक को स्व. अमर कुमार की वैध विवाहिता पत्नी होना गंभीर रूप से विवादित है।

10- आवेदिका पूजा नायक प्र.पी.-01 से प्र.पी.-10 तक के दस्तावेजों के संबंध में प्रतिपरीक्षण की कंडिका 12 में यह स्वीकार की है कि उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज ऐसा नहीं है, जो उसे अमर कुमार की पत्नी होना प्रमाणित कर सकें। उपरोक्त प्रतिपरीक्षण होने के उपरांत आवेदिका पूजा नायक के द्वारा उड़ीसा शासन द्वारा जारी दारिसान प्रमाण पत्र प्र.पी.-11, कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला कोरिया छ.ग. की शिकायत जांच प्रतिवेदन सूचना के अधिकार अधिनियम प्र.पी.-12 जो तीन फर्द में है, फोटोग्राफ प्र.पी.-12 ए, प्र.पी.-13, प्र.पी.-14 तथा निमंत्रण

16/12/14  
अमर कुमार नायक की पत्नी-01  
जिला कोरिया (छ.ग.)



CF-11





कार्ड प्र.पी.-15 प्रस्तुत किया गया है।

11- फोटोग्राफ प्र.पी.-12 ए, प्र.पी.-13 एवं प्र.पी.-14 को आवेदिका पूजा नायक द्वारा अपने विवाह का फोटोग्राफ होना बताते हुए प्रदर्शकित कराया गया है। उक्त फोटोग्राफ को अनावेदिका सुशीला नायक प्रतिपरीक्षण की कंडिका 06 एवं 07 में सगाई का छायाचित्र होना व्यक्त की है तथा आवेदिका पूजा नायक भी प्रतिपरीक्षण की कंडिका 18 में यह स्वीकार की है कि उसके द्वारा पेश किए गए उपरोक्त फोटोग्राफ्स में शादी होना प्रमाणित होने का तथ्य नहीं है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 18 में ही यह भी स्वीकार की है कि उसके द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ में बारातियों अथवा परिवार के किसी सदस्य का फोटो नहीं है। इसी प्रकार आवेदिका यह भी स्वीकार की है कि उसके समाज में पंडित जी के द्वारा विवाह कराया जाता है, परन्तु पंडित जी के साथ वाला फोटो प्रस्तुत नहीं करना भी स्वीकार की है। उपरोक्तानुसार स्वयं आवेदिका पूजा नायक की स्वीकृति के अनुसार उक्त फोटोग्राफ्स से उसका एवं अमर कुमार नायक का विवाह होने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है।

12- आवेदिका पूजा नायक के द्वारा प्रस्तुत किया गया उड़ीसा शासन द्वारा जारी वारिसान प्रमाण पत्र प्र.पी.-11 से परिलक्षित होता है कि उक्त वारिसान प्रमाण पत्र में आवेदिका पूजा नायक को स्व. अमर कुमार नायक की विधवा होना दर्ज है। इसी प्रकार आवेदिका द्वारा प्रस्तुत निमंत्रण पत्र प्र.पी.-15 में आवेदिका पूजा नायक एवं अमर कुमार नायक के विवाह का निमंत्रण पत्र होना अंकित है। आवेदिका पूजा नायक द्वारा स्व.



(सं. 16/12/24)  
प्रमुख व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-01  
बैकानेर, जिला-बिकानेर (छ.ग.)



पूजा नायक उर्फ काजल नायक प्रति क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक, एस०ई०सी०एल चरचा वही:

अमर कुमार नायक के साथ उसके सगाई का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो निखिला ओडिशा बन्यता ओडिया समाज के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें दोनों ही पक्षों के व्यक्तियों के हस्ताक्षर अंकित हैं। विवाह का उत्तम साक्ष्य विवाह प्रमाण पत्र है। जब सगाई होने का तथ्य प्रमाण पत्र में अभिलिखित किया जा सकता है तो यह विचार किए जाने योग्य है कि उपरोक्तानुसार ही विवाह होने के तथ्य अभिलिखित क्यों नहीं किया गया। प्रकरण में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि जब वह सगाई का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकती है तो विवाह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में किन परिस्थितियों में असमर्थ रही है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 15 में आवेदिका पूजा नायक यह स्वीकार की है कि वारिसान प्रमाण पत्र प्र.पी.-11 किन दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया है उसके संबंध में कोई दस्तावेज लेकर नहीं आई है। अतः यह स्पष्ट है कि वारिसान प्रमाण पत्र न तो विवाह के निमंत्रण कार्ड के आधार पर और न ही सगाई के प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया गया है। अतः विवाह का तथ्य गंभीर रूप से विवादित होने के कारण तथा यह स्पष्ट नहीं होने के कारण कि वारिसान प्रमाण पत्र किस आधार पर जारी किया गया है, वारिसान प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जा सकता है।

13- आवेदिका पूजा नायक, सूचना के अधिकार के अधिनियम संबंध में थाना चरचा द्वारा दिए गए ज्ञापन दिनांक 13.10.2023 प्र.पी.-12 प्रस्तुत की है। दस्तावेजों के प्रदर्शकन के संबंध में कंडिका 13 में कथन की है कि कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला कोरिया छ.ग. की शिकायत जांच प्रतिवेदन सूचना के अधिकार अधिनियम जो तीन

प्रधान कार्यपालक न्यायाधीश वर्ग-01  
बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.)



624-





फर्द में है, प्र.पी.-12 है। यह उल्लेखनीय है कि कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला कोरिया छ.ग. की शिकायत जांच प्रतिवेदन दिनांक 29.07.2023 सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्रदान किए जाने का उल्लेख थाना चरचा के ज्ञापन में नहीं है। उक्त दस्तावेज में थाना चरचा की सील लगी हुई है, परन्तु उक्त दस्तावेज पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस महानिरीक्षक को संबोधित है, जिसकी प्रतिलिपि थाना चरचा को प्रदान नहीं की गई है।

14- अतः यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि उक्त दस्तावेज थाना चरचा को किस प्रकार से प्राप्त हुई है तथा थाना चरचा द्वारा पुलिस अधीक्षक का प्रतिवेदन किस आधार पर अपनी सील लगाकर आवेदिका को प्रदान किया गया। आवेदिका पूजा नायक द्वारा पुलिस अधीक्षक कोरिया से उक्त प्रतिवेदन विधिवत् प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त दस्तावेजों में उल्लेखित तथ्यों की भी पुष्टि आवश्यक है। यद्यपि कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला कोरिया छ.ग. की शिकायत जांच प्रतिवेदन की कंडिका 13 की उप कंडिका में आवेदिका पूजा नायक को अमर कुमार नायक की पत्नी होने के आशय के तथ्य उल्लेखित हैं, परन्तु बैंक में आवेदिका पूजा एवं अमर कुमार नायक के कथित संयुक्त खाता एवं एफ०डी० के संबंध में समुचित साक्ष्य प्रस्तुत कर कंडिका 13 की उप कंडिका में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि आवेदिका द्वारा नहीं कराया गया है।

15- पुलिस अधीक्षक जिला कोरिया छ.ग. की शिकायत जांच प्रतिवेदन की कंडिका 13 में गवाह बलराम, पावित्रा एवं अभिप्रधान से पूछताछ करना तथा उनके द्वारा आवेदिका पूजा नायक एवं अमर कुमार नायक का विवाह होना बताए जाने का उल्लेख है।

16/11/24  
प्रधान व्यवहार न्यायाधीश (च.ग.)  
मेरठ, जिला-कोरिया (च.ग.)





पूजा नायक उर्फ काजल नायक प्रति क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक, एस०ई०सी०एल परचा वगैः

आवेदिका द्वारा उक्त बलराम तथा पावित्रा का परीक्षण नहीं कराया गया है तथा अभिप्रधान का परीक्षण कराया गया है। आवेदक साक्षी अभिप्रधान ने अपने शपथ पत्र में आवेदिका पूजा नायक को अमर कुमार नायक की पत्नी होना बताया है, परन्तु प्रतिपरीक्षण की कंडिका 10 में यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र उसके बताए अनुसार नहीं बना है, वकील साहब के बताए अनुसार बना है। साक्षी अभिप्रधान ने यह भी स्वीकार किया है कि वह यह नहीं बता सकता कि उसके शपथ पत्र में क्या-क्या लिखा है, उसने शपथ पत्र निष्पादित होने के उपरांत मात्र हस्ताक्षर किया है तथा पूजा नायक के कहने पर शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किया है। उक्ताशय के सुझाव ही अन्य आवेदक साक्षी कंगाली ने भी प्रतिपरीक्षण की कंडिका 06 में स्वीकार किया है। साक्षी अभिप्रधान की उक्त स्वीकारोक्ति कि वह यह नहीं बता सकता कि उसके शपथ पत्र में क्या-क्या लिखा है, तथ्यों के संबंध में उसके शपथ पत्र में उल्लेखित साक्ष्य की कोई स्वीकार्यता शेष नहीं रह जाती है।

16- आवेदिका पूजा नायक शपथ पत्र पर यह कथन भी की है कि उसके पति स्व. अमर नायक का पी एफ राशि 6,50,000/- एवं ग्रेच्यूटी 1,71,000/- संबंधित संस्था में जमा है, जिसके भुगतान के संबंध में अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है। उक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि आवेदिका पूजा नायक द्वारा स्व० अमर नायक के सीएमपीएफ तथा ग्रेच्यूटी में जमा राशि के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदिका पूजा नायक स्वयं

(समिति अध्यक्ष)  
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-01  
मुक्तपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.)







पूजा नायक उर्फ काजल नायक प्रति क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक, एस०ई०सी०एल चरचा बनें:

को स्व० अमर नायक की पत्नी होना भी साबित नहीं कर सकी है। अतः जाँच बिन्दू क्रमांक 01 का निष्कर्ष "नासाबित" दिया जाता है।

//जाँच बिन्दू क्रमांक-03 पर निष्कर्ष//

17- सुविधा की दृष्टि से जाँच बिन्दू क्रमांक 03 का निराकरण पहले किया जा रहा है। अनावेदिका क्र.04 सुशीला नायक स्वयं को स्व० अमर कुमार नायक की एकमात्र वैध उत्तराधिकारी न बताते हुए यह साक्ष्य दी है कि वह मृतक स्व० अमर कुमार नायक की माँ है तथा उस पर आश्रित होकर एकमात्र उत्तराधिकारी है। अनावेदिका क्र.04 सुशीला शपथ पत्र पर यह कथन भी की है कि मृतक अमर नायक अपने सेवा अभिलेखों में नॉमिनी के रूप में माता सुशीला, छोटे भाई सूरज कुमार नायक तथा बहन पूनम का नाम दर्ज कराया है। सूरज कुमार नायक तथा पूनम बालिग हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में स्व० अमर नायक की वह एकमात्र उत्तराधिकारी हैं तथा उसके अतिरिक्त स्व० अमर कुमार नायक के अन्य कोई उत्तराधिकारी नहीं हैं।

18- अपने दावा के समर्थन में अनावेदिका सुशीला नायक द्वारा स्व० अमर नायक के सेवा अभिलेख प्रपी.01, कंपनी के रोल से पुत्र का नाम काटकर अग्रिम कार्यवाही किये जाने बाबत आवेदन प्रपी.02, कार्यालय के आदेश दिनांक 02.12.2021 प्रपी.03, टी०ए० भुगतान हेतु दिया गया आवेदन पत्र प्रपी.04, अमर कुमार नायक का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रपी.05, चिकित्सा व्यय राशि भुगतान हेतु आवेदन राशि प्रपी.06, एस०ई०सी०एल चरचा को दिया गया आवेदन प्रपी.07, आवेदिका पूजा नायक को



*[Signature]*  
प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक  
एस०ई०सी०एल चरचा (उ.ग.)



पूजा नायक उर्फ काजल नायक प्रति क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक, एस०ई०सी०एल थरवा दंगे:

संबोधित प्रबंधक कार्मिक चरचा माईन्स का पत्र प्रपी.08, मृतक के भाई सूरज कुमार नायक द्वारा अनुकंपा नियुक्ति हेतु दिया गया आवेदन प्रपी.09, 10 एवं 11 प्रस्तुत किया गया है।

19- अनावेदिका सुशीला नायक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों में से अमर नायक के सर्विस शीट प्रपी.01 से परिलक्षित होता है कि अमर नायक के परिवार के सदस्यों के रूप में अनावेदिका सुशीला नायक, सूरज कुमार नायक एवं पूनम के नाम उल्लेखित हैं तथा कोयला खान भविष्य निधि में नॉमिनी के रूप में अनावेदिका सुशीला नायक का नाम स्व 0 अमर कुमार नायक की माता के रूप में दर्ज है। स्व 0 अमर कुमार नायक के सर्विस शीट एवं सीएमपीएफ प्रपी.01 से प्रथम दृष्ट्या दर्शित होता है कि अनावेदिका सुशीला नायक स्व 0 अमर कुमार नायक की माता तथा नॉमिनी है। स्व 0 अमर कुमार नायक के अन्य सदस्य सूरज एवं पूनम बालिग हो चुके हैं।

20- अनावेदिका सुशीला नायक प्रतिदावा प्रस्तुत की है तथा साक्ष्य दी है कि मृतक स्व 0 अमर कुमार नायक के स्वत्व की पी०एफ राशि 6,50,000/-रुपए एवं ग्रेच्यूटी की राशि 1,71,000/-रुपए को प्राप्त करने की एकमात्र उत्तराधिकारी है। यह उल्लेखनीय है कि अनावेदिका सुशीला नायक द्वारा प्रकरण में यह आपत्ति की गयी है कि आवेदिका पूजा नायक द्वारा सीएमपीएफ एवं ग्रेच्यूटी से संबंधित सक्षम प्राधिकारियों को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया है, परंतु स्वयं भी सक्षम प्राधिकारियों को पक्षकार के रूप में संयोजित करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की है। स्व 0 अमर कुमार

एकमात्र उत्तराधिकारी प्रपी-01  
अनावेदिका सुशीला-कोरिया (ज.ग.)



CF-4-





पूजा नायक उर्फ काजल नायक प्रति क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक, एस०ई०सी०एल बरवा बगै:

नायक के सीएमपीएफ एवं ग्रेच्यूटी के मद में क्रमशः 6,50,000/-रुपए तथा 1,71,000/-रुपए जमा होने के संबंध में भी अनावेदिका सुशीला नायक भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की है और न ही जानकारी आहूत कराने हेतु कार्यवाही की है।

21- प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 01 एवं 02 की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा में स्व० अमर नायक के स्वत्वों की ग्रेच्यूटी राशि 1,71,535/-रुपए नियमानुसार सहायक श्रमायुक्त केन्द्रीय रायपुर के समक्ष जमा किया जा चुका होना अभिकथित किया गया है, परंतु सीएमपीएफ की राशि का कोई विवरण अनावेदक क्र.01 एवं 02 के कार्यालय में उपलब्ध नहीं होना बताया गया है। अनावेदक क्र.01 एवं 02 की ओर से परीक्षित साक्षी हीरा सिंह ने भी यह साक्ष्य दिया है कि स्व० अमर कुमार नायक के स्वत्वों की ग्रेच्यूटी की राशि सहायक श्रमायुक्त के समक्ष जमा कर दी गयी है तथा सीएमपीएफ की राशि सीएमपीएफ कार्यालय बिलासपुर में जमा की गयी है। अनावेदकगण क्र.01 एवं 02 की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं साक्षी हीरा सिंह के साक्ष्य से भी दस्तावेजी तौर पर यह पुष्टि नहीं होती है कि स्व० अमर कुमार नायक के सीएमपीएफ में कितनी राशि जमा है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्र.03 में साक्षी हीरा सिंह यह व्यक्त किया है कि मृत अमर कुमार नायक के पी०एफ की राशि लगभग 6,50,000/-रुपए होगी, जो कि संभावना है तथा निश्चित तौर पर यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त राशि 6,50,000/-रुपए ही है। अनावेदकगण क्र.01 एवं 02 के जवाब से मात्र यह तथ्य दर्शित होता है कि ग्रेच्यूटी की राशि 1,71,000/-रुपए है जो सहायक श्रमायुक्त के



*[Handwritten signature]*  
14/12/24



पूजा नायक उर्फ काजल नायक प्रति क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक, एस०ई०सी०एल घरवा दंगे:

कार्यालय में नियमानुसार जमा है, जिसे अनावेदिका क्र.04 सुशीला नायक प्राप्त करने की अधिकारिणी होना दर्शित होती है। अतः जाँच बिन्दू क्र.03 का निष्कर्ष अंशतः साबित दिया जाता है।

//जाँच बिन्दू क्रमांक-02 सहायता एवं व्यय//

22- जाँच बिन्दु क्र.01 एवं क्र.03 के विश्लेषण में प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार आवेदिका पूजा नायक अपना प्रकरण साबित करने में असफल रही है तथा अनावेदिका क्र.04 सुशीला नायक अपना प्रकरण अंशतः साबित करने में सफल रही है। फलतः आवेदिका पूजा नायक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाता है तथा अनावेदिका क्र.04 सुशीला नायक द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा अंशतः स्वीकार किया जाता है। न्यायालय फीस अधिनियम की अनुसूची-01 के संख्यांक 12 के अनुसार उक्त राशि 1,71,000/-रुपए पर 1,750/-रुपए तथा 50,000/-रुपए से अधिक की राशि 1,21,000/-रुपए पर 5 प्रतिशत अर्थात् 6,050/-रुपए कुल 7,800/-रुपए का न्यायशुल्क देय है। अतः अनावेदिका क्र.04 सुशीला नायक द्वारा उक्त राशि 7,800/-रुपए(सात हजार आठ सौ रुपए) का न्यायशुल्क अदा किये जाने पर अनावेदिका क्र.04 सुशीला नायक के पक्ष में निम्नानुसार उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जावे:-

1- आवेदिका पूजा नायक द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया जाता है।

(समीर कुजूर)  
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश धर्म-04  
देवकुण्डपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.)



CF-4-





पूजा नायक उर्फ काजल नायक प्रति क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक, एस०ई०सी०एल धरवा जगै:

2- अनावेदिका क्र.04 सुशीला नायक द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा अंशतः स्वीकार किया जाता है। अनावेदिका क्र.04 सुशीला नायक, ग्रेच्यूटी की राशि 1,71,000/-रुपए जो सहायक श्रमायुक्त के कार्यालय में नियमानुसार जमा है, को प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

3- उभय पक्ष अपना-अपना आवेदन व्यय वहन करेंगे।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया  
गया।



(समीर कुजूर)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी  
बैकुण्ठपुर, कोरिया (छ०ग०)

(समीर कुजूर)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी  
बैकुण्ठपुर, कोरिया (छ०ग०)

दिनांक-16.12.2024

17.12.24	24
24.12.24	24
04.01.25	25
17.12.24	24
04.01.25	25
-	-
-	-
-	-
04.01.25	25
04.01.25	25
32=00	

सत्य प्रतिनिधि  
कार्यालय न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी  
बैकुण्ठपुर (कोरिया) छ.ग.

मुख्य प्रशासक  
कोरिया बैकुण्ठपुर